



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052020-219366
CG-DL-E-14052020-219366

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]
No. 169]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2020/वैशाख 24, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2020/VAISAKHA 24, 1942

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2020

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020

सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा 2 के उप-खंडों (ड), (ड), (ढ), (ण) और (त) के साथ पठनीय धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

1. इन विनियमों का नाम 'पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020' है।
2. ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 में:-

(I) विनियम 3 के उप-विनियम (3) के प्रावधान में दिए गए स्पष्टीकरण में शब्दों "कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 617" को "कम्पनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 2(45)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(II) विनियम 4 के उप-विनियम (2) को हटा दिया जाएगा।

(III) विनियम 4 के उप-विनियम (3) को उप-विनियम (2) के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा।

(IV) विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (च) में “प्राधिकरण द्वारा विनियमित” शब्दों के बाद “या प्रशासित” शब्दों को जोड़ा जाएगा।

(V) विनियम 8 के उप-विनियम 1 में खंड (ख) के बाद एक नए खंड (ग) को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा-

“(ग) प्रायोजकों के बीच संयुक्त उद्यम भी आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वह संयुक्त उद्यम किसी एक ही वित्तीय सेक्टर विनियामक के अधिकार क्षेत्र में आता हो या बाद में आएगा। संयुक्त उद्यम कम से कम संस्था के बाह्य ज्ञापन निष्पादन करने के चरण में हो और संयुक्त उद्यम को प्रायोजक की नियुक्ति की तारीख से एक माह में पूरा कर लेना चाहिए।”

(VI) विनियम 8 में उप-विनियम (1) के खंडों (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ) को (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) और (त) खंडों के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा।

(VII) विनियम 8 में उप-विनियम 1 के खंड (त) के बाद खंड (थ) को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा-

“(थ) कोई अन्य शर्त, जिसे प्राधिकरण द्वारा चयन प्रक्रिया के भाग के रूप में निर्धारित किया गया हो।”

(VIII) विनियम 8 में उप-विनियम 3 के खंड (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा -

“(क) प्रारम्भ में, प्रयोजक पेंशन निधि को पर्याप्त और आवश्यक बुनियादी ढाँचा, समर्पित जनशक्ति, प्रणाली और प्रक्रियाएं, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना सुरक्षा प्रणालियाँ उपलब्ध कराएगा जिनमें भावी बदलावों या अन्य अपेक्षाओं जैसे कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, को अपनाने की क्षमता हो,

परंतु पेंशन निधियाँ, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से 12 माह की अवधि के भीतर अपना आवश्यक बुनियादी ढाँचा, समर्पित जनशक्ति, प्रणाली और प्रक्रियाएं और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना सुरक्षा प्रणाली स्थापित करेगी;”

(IX) विनियम 8 में उप-विनियम 3 के खंड (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

“(ग) पेंशन निधि सुनिश्चित करेगी कि मुख्य कर्मचारियों जैसे मुख्य कार्यापालक अधिकारी, मुख्य निवेश अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य सूचना एवं सुरक्षा अधिकारी, निवेश अधिकारी, परिचालन प्रबंधक, अनुपालन अधिकारी और या उन अधिकारियों, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है, के पास पर्याप्त योग्यता और सम्बंधित क्षेत्र में अनुभव हो;”

(X) विनियम 12 में, उप-विनियम (ड) के बाद उप-विनियम (ढ) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा-

“(ढ) प्रत्येक पेंशन निधि, साइबर सुरक्षा नीति, सामान्य प्रबंधकपद कोड और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम पर धारित अस्तियों पर मतदान नीति, जो प्राधिकरण द्वारा इस सम्बंध में जारी की गई हो, का पालन करेगी।”

(XI) विनियम 15 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा -

“15. स्कीम परिसंपत्तियों का मूल्यांकन- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम पर धारित और प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित पेंशन स्कीमों के तहत पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित परिसंपत्तियों/प्रतिभूतियों का, जिनमें निवेश ग्रेड से नीचे की परिसंपत्तियाँ/प्रतिभूतियाँ भी शामिल है, मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।”

(XII) विनियम 22 के उप-विनियम (9) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

“(9) पेंशन निधि, निवेशों और जोखिम प्रबंधन के लिए श्रेष्ठ अभिशासन प्रथाओं को अपनाएगी अर्थात् जोखिम प्रबंधन और अनुसंधान विभाग का निर्माण, निवेश समिति और जोखिम समिति का गठन, जिनकी संरचना, कार्य और कर्तव्य वैसे होंगे, जैसा कि अनुसूची-10 में उल्लिखित है।”

(XIII) विनियम 22 में उप-विनियम (17) के बाद उप-विनियम (18) को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा-

“(18) एक पेंशन निधि, जो प्राधिकरण द्वारा उपस्थिति अस्तित्व के रूप में पंजीकृत होने पर उपस्थिति अस्तित्व के क्रियाकलाप करती है, निधि प्रबंधन क्रियाकलापों से इसकी दूरी रखने के लिए पृथक् ढाँचा, जनशक्ति, लेखा-जोखा, जिनमें राजस्व और व्यय शामिल है, की व्यवस्था रखेगी।”

(XIV) विनियम 26 के उप-विनियम (3) के खंड (क) के स्पष्टीकरण में शब्दों, "कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 226" को "कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 141" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(XV) अनुसूची-3 में तालिका के नीचे लिखे शब्द 'स्पष्टीकरण' को 'भाग-ख' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(XVI) अनुसूची-3 में भाग-ख के उप-अनुच्छेद 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

'1. इस भाग के प्रयोजनार्थ, "प्रबंधन के तहत आस्तियाँ" का अर्थ होगा कि पेंशन निधि द्वारा धारित आस्तियों का दर्शित मूल्य जैसे कि नीचे भाग-ख के उप-अनुच्छेद 3 के तहत दर्शाया है।

(XVII) अनुसूची-5 में अनुच्छेद 2 के उप-अनुच्छेद (ख) में तालिका के स्तंभ 5 में क्र.सं.(1) में शब्दों "उसी दिन सांय 9.00 बजे तक" को "उसी दिन, अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित समयसीमा के अनुसार" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(XVIII) अनुसूची-5 के अनुच्छेद 2 के उप-अनुच्छेद (ख) में तालिका के स्तंभ 5 में क्र.सं.(2) में शब्दों "उसी दिन सांय 9.00 बजे तक" को "उसी दिन, अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित समयसीमा के अनुसार" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(XIX) अनुसूची-5 में अनुच्छेद 2 के उप-अनुच्छेद (ख) में तालिका के बाद शब्दों "***वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री में वित्तीय विवरणियाँ और अनुसूची-8 में लेखापरीक्षक रिपोर्ट शामिल होती है" को "***वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री में वित्तीय विवरणियाँ और अनुसूची-7 में लेखापरीक्षक रिपोर्ट शामिल होती है" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(XX) अनुसूची-6 में, अनुच्छेद 3 के उप-अनुच्छेद (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

"(ग) पेंशन निधि प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या अभिदाताओं को ना तो मौखिक या लिखित बयान, और न ही अपनी योग्यता या कुछ सेवाओं के लिए अपनी क्षमता या प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यासों या अभिदाताओं को दी गई अपनी सेवाओं की उपलब्धियों के बारे में कोई बढ़ा-चढ़ा कर बयान देगी।"

(XXI) अनुसूची-7 में अनुच्छेद 4 के उप-अनुच्छेद (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

"(ख) पेंशन निधि या उसका कोई निदेशक या कर्मचारी या पेंशन निधि का सहयोगी या तो अपने खाते से या अपने-अपने खातों से या अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों या मित्रों के माध्यम से किसी अंतः कारोबार में लिप्त नहीं होगा। इसके अलावा, वह इस संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।"

(XXII) अनुसूची-7 में, अनुच्छेद 6 के उप-अनुच्छेद(ड) के बिंदु (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

"(ख) यदि एक पेंशन निधि का कोई कर्मचारी ऐसी सूचना दे रहा है, तो वह सूचना देते समय कथित प्रतिभूति में अपने आश्रित परिवार के सदस्यों के हितों को भी उनकी दीर्घकालिक या अल्पकालिक स्थिति सहित पेंशन निधि को बताएगा,"

(XXIII) अनुसूची-7 में अनुच्छेद 4 के पहले उप-अनुच्छेद (iii) के बाद दूसरे उप-अनुच्छेद (iii) को उप-अनुच्छेद (iv) के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा।

(XXIV) अनुसूची-7 के अनुच्छेद 4 में वर्णित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के पते को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

"न्यासी बोर्ड

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास

बी-14/ए, तृतीय तल

छत्रपति शिवाजी भवन

कुतुब संस्थागत क्षेत्र

कटवारिया सराय

नई दिल्ली-110016"

(XXV) अनुसूची-8 के शीर्षक में, शब्दों "बैंकिंग समझौते करेगी" को "एक व्यवस्था में प्रवेश करेगी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(XXVI) अनुसूची-10 में, अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा -

“1. पेंशन निधि एक निवेश समिति का गठन करेगी, जिसमें दो स्वतंत्र निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी और मुख्य निवेश अधिकारी या निधि प्रबंधक, यदि सीईओ और सीआईओ एक ही अधिकारी हो, शामिल होंगे।”

(XXVII) अनुसूची-10 में, अनुच्छेद 2 के उप-अनुच्छेद (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

“1. पेंशन निधि एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेगी, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य निवेश अधिकारी या निधि प्रबंधक, यदि सीईओ और सीआईओ समान अधिकारी हों और अनुपालन अधिकारी हो। निवेश समिति का निदेशक जोखिम प्रबंधन समिति का निदेशक नहीं होना चाहिए।”

(XXVIII) अनुसूची-11 में, अनुच्छेद 10 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

“10. पेंशन निधि बहियाँ तथा अभिलेख तैयार करेगी तथा प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रकटीकरण सम्बंधी अपेक्षाओं का पालन करेगी जैसा कि अनुसूची-5 में भी उल्लिखित है।”

(XXIX) अनुसूची-11 में अनुच्छेद 23 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

“23. पेंशन निधि एक निवेश समिति और एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेगी, जैसा कि अनुसूची-10 में उल्लिखित है।”

सुप्रतिम बंदोपाध्याय, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./24/2020-21]

पाद-टिप्पणी

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र में भाग-III, खंड-4 में 19 मई, 2015 को प्रकाशित किया गया।
2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016 को अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र में भाग- III, खंड-4 में 8 सितम्बर 2016 को प्रकाशित किया गया।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र में भाग- III, खंड-4 में, 5 फरवरी 2020 को प्रकाशित किया गया।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2020

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (PENSION FUND) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

No. PFRDA/12/RGL/139/9.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clauses (e), (m), (n), (o) and (p) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 namely, -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Third Amendment) Regulations, 2020.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015:-

(I). In explanation to proviso to sub-regulation (3) of regulation 3, the words ‘*section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)*’, shall be substituted by ‘*section 2(45) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)*’.

(II). Sub-regulation (2) of regulation 4 shall be deleted.

(III). Sub-regulation (3) of regulation 4 shall be renumbered as sub-regulation (2).

(IV). In clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 5, after the words ‘*National Pension System or any other pension scheme regulated*’, the words ‘*or administered*’ shall be inserted.

(V). In regulation 8, after clause (b) of sub-regulation (1), a new clause (c) shall be inserted as below-

“(c) *The joint ventures between the sponsors, may also apply provided the joint venture falls or will fall under the jurisdiction of one of the financial sector regulators. The joint venture shall at least be at the memorandum of understanding execution stage and the joint venture should be finalized within one month from the date of appointment of sponsor;*”

(VI). In regulation 8, in sub-regulation (1), clauses (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) and (j) shall be renumbered as clauses (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) and (k) respectively.

(VII). In regulation 8, in sub-regulation (1), after clause (k), clause (l) shall be inserted as below-

“(l) *any other conditions as may be specified by the Authority as part of selection process.*”

(VIII). In regulation 8, in sub-regulation (3), clause (a) shall be substituted as below-

“(a) *Initially, the sponsor shall be required to provide the pension fund with adequate and necessary infrastructure, dedicated manpower, systems and procedures, information technology and information security systems with capabilities to adapt to future changes or any other requirement as may be specified by the Authority;*

Provided that the pension funds shall set up their own necessary infrastructure, dedicated manpower, systems & procedures, information technology and information security systems within a period of twelve months from the date of issuance of certificate of registration;”

(IX). In regulation 8, in sub-regulation (3), clause (c) shall be substituted as below-

“(c) *the pension fund shall ensure that the key personnel viz. the Chief Executive Officer, Chief Investment Officer, Chief Risk Officer, Chief Information and Security Officer (CISO), Fund Manager, Operations Manager, Compliance Officer or other positions, as may be notified by the Authority, from time to time have the adequate qualification and experience in the requisite field;*”

(X). In regulation 12, after sub-regulation (m), sub-regulation (n) shall be inserted as below-

“(n) *Every pension fund shall adhere to Cyber security policy, Common Stewardship code and voting policy on assets held in the name of National Pension System Trust, issued by the Authority for the purpose.*”

(XI). Regulation 15 shall be substituted as below-

“*Valuation of scheme assets.— The assets/securities held in the name of National Pension System Trust and managed by the pension funds under the pension schemes regulated or administered by the Authority, including assets/securities below investment grade, shall be valued in accordance with the guidelines issued by the Authority from time to time.*”

(XII). In regulation 22, sub-regulation (9) shall be substituted as below-

“(9) *The pension fund shall adopt best governance practices for investments and risk management viz. creation of risk management and research department, constitution of Investment Committee and Risk Committee, whose composition, functions and duties shall be such as specified in Schedule X.*”

(XIII). In regulation 22, after sub-regulation (17), sub-regulation (18) shall be inserted as below-

“(18) *A pension fund undertaking the activities as point of presence (POP) upon being registered by the Authority for the purpose shall maintain separate infrastructure, manpower, accounts including revenue and expenditure in order to maintain arm’s length distance from the fund management activities.*”

(XIV). In regulation 26, in sub-regulation (3) in explanation to clause (a), the words ‘*section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)*’, shall be substituted by ‘*section 141 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)*’.

(XV). In Schedule III, sub-paragraph I of Part B shall be substituted as below-

“1. For the purpose of this part, the expression ‘assets under management’ shall mean the value of the assets held by the pension fund as disclosed by it under sub-paragraph III of Part B below.”

(XVI). In Schedule V, in sub-paragraph (b) of paragraph 2 at Sl. No.(1) in the table under column 5, the words ‘By 9.00 PM on the same day’ shall be substituted by ‘On the same day as per time limit decided by Chairperson from time to time’.

(XVII) In Schedule V, in sub-paragraph (b) of paragraph 2 at Sl. No.(2) in the table under column 5 the words ‘By 9.00 PM on the same day’ shall be substituted by ‘On the same day as per time limit decided by Chairperson from time to time’.

(XVIII). In Schedule V, after table in sub-paragraph (b) of paragraph 2, the words ‘** Contents of ‘Annual Report’ are as per Financial Statements and Auditor’s Report under Schedule VIII’ shall be substituted as ‘** Contents of ‘Annual Report’ are as per Financial Statements and Auditor’s Report under Schedule VII’.

(XIX). In Schedule VI, in paragraph III, sub-paragraph (c) shall be substituted as below-

“(c) A pension fund shall not make any exaggerated statement whether oral or written to the Authority, the National Pension System Trust or subscribers, either about its qualification or capability to render certain services or its achievements in regard to services rendered to the Authority, National Pension System Trusts or subscribers.”

(XX). In Schedule VI, in paragraph IV, sub-paragraph (b) shall be substituted as below-

“(b) A pension fund or any of its directors, or employee or an associate of the pension fund shall not, either through its account or their respective accounts or through their family members, relatives or friends indulge in any insider trading. Further, they shall adhere to the guidelines issued in this regard by the Authority from time to time.”

(XXI). In Schedule VI, in paragraph VI, point (b) of sub-paragraph (e) shall be substituted as below-

“(b)in case an employee of a pension fund is rendering such advice, he shall also disclose the interest of his dependent family members to pension fund including their long or short position in the said security, while rendering such advice.”

(XXII). In Schedule VII, in paragraph IV, after first sub-paragraph (iii), the second sub-paragraph (iii) shall be re-numbered as sub-paragraph (iv).

(XXIII). In Schedule VII, in paragraph IV, the address of NPS Trust shall be substituted as below-

“The Board of Trustees

National Pension System Trust

B-14/A, 3rd Floor

Chhatrapati Shivaji Bhawan

Qutab Institutional Area

Katwaria Sarai

New Delhi 110 016.”

(XXIV). In Schedule VIII, in the heading, the words ‘enter into a banking agreement’ shall be substituted as ‘enter into an arrangement’.

(XXV). In Schedule X, sub-paragraph (1) of paragraph I shall be substituted as below-

“1. Pension fund shall constitute an Investment Committee consisting of two independent directors, the Chief Executive Officer, Chief Risk Officer and the Chief Investment Officer or Fund Manager in case CEO and CIO are the same official.”

(XXVI). In Schedule X, sub-paragraph (1) of paragraph II shall be substituted as below-

“1. Pension fund shall constitute a Risk Management Committee which shall consist of at least one independent director, the Chief Executive Officer, Chief Risk Officer, Chief Investment Officer or fund manager in case CEO and CIO are the same official and the Compliance Officer. The director should not be the same as the one on the Investment Committee.”

(XXVII). In Schedule XI, paragraph 10 shall be substituted as below-

“10. The pension fund shall maintain books and records and comply with the disclosure requirements specified by the Authority or National Pension System Trust from time to time and also as detailed in Schedule V.”

(XXVIII). In Schedule XI, paragraph 23 shall be substituted as below-

“23. The pension fund shall constitute an Investment Committee and a Risk Management Committee as set forth in Schedule X.”

SUPRATIM BANDYOPADHYAY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./24/2020-21]

Footnote:

1. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 19th May, 2015 vide No. PFRDA/12/RGL/139/9.
2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (First Amendment) Regulations, 2016 were published in the Gazette of India on 8th September, 2016 vide No. PFRDA/12/RGL/139/9.
3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Second Amendment) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India on 5th February, 2020 vide No. PFRDA/12/RGL/139/9.